राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा
जिला-कोटा

* जाति प्रमाण-पत्र *

[illegible]30/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/5322
दिनांक 06-07-2016

आवेदक का आधार नम्बर : 265249855900
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : नहीं है

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी कोमल मेघवाल पुत्री मनमोहन मेघवाल गांव/नगर देवनारायण मन्दिर के पास कंसुवा कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **मेघवाल (46)** जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार **अनुसूचित जाति** के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, [illegible] अधिनियम 1968, [illegible] अधिनियम 1966, [illegible] आदेश राज्य अधिनियम 1973, [illegible] अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अन्य [illegible]) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अन्य [illegible]) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान ([illegible]) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान ([illegible]) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी कोमल मेघवाल गांव/नगर देवनारायण मन्दिर के पास कंसुवा कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग **साधारणतः** निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ओन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, कोटा

Signature valid

Digitally signed by
JOSHI RA[illegible]
Date: [illegible].06
10:1[illegible]
Reason: SCM
Location: Rajasthan

1630128410118865